न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 21/2019
प्रविष्टि दिनांक 10–7–2019

सद्दाम खॉन पुत्र नन्हें खॉन जाति मुसलमान निवासी ग्राम सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 20–6–2019

उपस्थिति : (1) श्री अनुराग गौतम, श्री बनवारी लाल शर्मा अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 5–11–2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 20–6–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम कोटड़ी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 2000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अपीलाण्ट की उक्त भूमि पर गत 20 वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर दुकान बनी हुई है। अपीलान्ट की दुकान में बिजली व नल कनेक्शन लगा हुआ है तथा सार्वजनिक रूप से पानी की टंकी बनी हुई है। अपीलान्ट इस भूमि में बनी हुई दुकान में अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है तथा दुकान में अपना व्यवसाय करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के पास इस मकान/दुकान के अलावा आवास व व्यवसाय करने हेतु अन्य कोई परिसर भी नहीं है, उक्त भूमि में कई लोगों के मकानात बने हुए हें ओर आबादी बसी हुई है। पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरूद्व कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:47:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट ने पक्की दुकाने बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 13/18 से बेदखल किया गया था एंव पूनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील नहीं हुई है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम कोटड़ी तहसील उनियारा पर दुकानें/मकान बनाकर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 13/2018 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। नायब तहसीलदार सोप द्वारा अपीलान्ट की बिना सुनवाई के निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20-6-2020 अपास्त किया जाकर नायब तहसीलदार सोप को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त रिकार्ड/कब्जे की जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 5-11-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:47:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner